भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4320
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालकों के लिए योजनाएँ

4320. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में हजारों लघु एवं सीमांत मत्स्यपालक वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों के प्रदूषण और मत्स्य आहार एवं बीज की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, बाजार तक पहुंच हेतु कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं का लाभ देश के ग्रामीण और पिछड़े जिलों के मत्स्यपालकों तक पहुंच रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने पारंपरिक मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए किसी दीर्घकालिक योजना का कार्यान्वयन किया है या विशेष बजट प्रावधान किया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 20050 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना मात्स्यिकी, मत्स्य किसानों और मत्स्य विकास से जुड़े अन्य हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और फीड़, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेनेजमेंट, फिशरीज़ वैल्यू चैन के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 9,189.79 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 21,274.16 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और पिछड़े जिलों सहित मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाना है।

जलवायु चुनौतियों के बीच स्थाई (सस्टेनेबल) मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार PMMSY के अंतर्गत जलवायु अनुकूल आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है जैसे जलकृषि और समुद्री कृषि जिसमें केज कल्चर और सी वीड कल्टीवेशन शामिल है, संरक्षण और स्टॉक संवर्धन उपाय जैसे - सी रेंचिंग, रिवर रेंचिंग, आरटीफ़िशियल रीफ़्स की स्थापना, साथ ही मत्स्यन में विविध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज (CRCFVs) घटक के अंतर्गत, भारतीय तटरेखा के किनारे 100 तटीय मछुआरा गाँवों को क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज के रूप में विकसित करने के लिए पहचाना गया है, जिसका उद्देश्य इन गाँवों को आर्थिक रूप से सशक्त और जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाना है, जिससे मछुआरों और उनके समुदायों के जीवन में सुधार हो सके।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का मुख्य उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य किसानों और मत्स्य श्रमिकों/विक्रेताओं के प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) को PMMSY के अंतर्गत प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) ने कुल 3,028 वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है, जिससे 2,92,315 मत्स्य किसानों, उद्यमियों और तटीय युवाओं को लाभ हुआ है। ये पहल प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के उद्देश्यों के अनुरूप उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट-हारवेस्ट प्रबंधन और मारकेटिंग लिंकेज के संदर्भ में इस क्षेत्र की क्षमता को आगे बढ़ाने में सहायक रही हैं।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मॉडर्न पोस्ट-हारवेस्ट कोल्ड चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांटस, रेफ्रीजरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों सहित फिश ट्रांसपोर्टेशन वाहन, आइस/फिश रखने के बक्सों के साथ मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो रिक्शा, मारकेटिंग और फिश मारकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं । पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, 734 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट्स, फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की 27,301 यूनिट्स जैसे कि आइस बॉक्स के साथ 10924 मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स के साथ 9412 साइकिल, 3915 ऑटो रिक्शा, 1265 लाइव फिश वेंडिंग यूनिट्स, 1406 इंसुलेटेड ट्रक और 379 रेफ्रिजरेटेड ट्रक, 6410 फिश कियोस्क, 202 फिश रीटेल मारकेट्स, 21 होलसेल फिश मारकेट्स को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PMMSY के अंतर्गत 2375.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर स्वीकृति दी गई है।

*****